न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना
सत्र वाद संख्या–2363 / 2025
अगमकुआं थाना कांड संख्या–395 / 2025
राधा देवी उर्फ रौशनी देवी बनाम बिहार राज्य

आदेश

बाद में

10.03.2026 अभियुक्ता राधा देवी उर्फ रौशनी देवी के विरूद्ध इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार की है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर, चूंकि उपरोक्त अभियुक्ता अपना अपराध स्वीकार की है, इसलिए न्याय के हित में इस न्यायालय का विचार है कि अभियुक्ता को अपनी अपराध स्वीकार करने की प्रार्थना पर पुनर्विचार करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। इसलिए मामले की सुनवाई आज दोपहर के भोजनावकाश के बाद के लिए निर्धारित की गई। अभियुक्ता को दोपहर के भोजनावकाश के बाद फिर से प्रस्तुत का निर्देश दिया जाता है।

लेखापित

(संगम सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
पटना।

बाद में दोपहर के भोजनावकाश के बाद, अभियुक्ता अपने विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के साथ फिर से मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसे फिर से अपराध स्वीकार करने की प्रार्थना पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया, लेकिन अभियुक्ता अपने अपराध को स्वेच्छा से, पूरी चेतना में और बिना किसी भय या दबाव के स्वीकार करने की प्रार्थना पर अडिग रही। अभियुक्ता को फिर से चेतावनी दी गई कि वह अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और न्यायालय के समक्ष उसके अपराध स्वीकार करने के परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए संतुष्ट होने पर, इस

लगातार

10.03.2026 न्यायालय ने खुले न्यायालय में अभियुक्ता राधा देवी उर्फ रौशनी देवी का अपराध स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किया गया है। अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में, अभियुक्ता ने स्पष्ट शब्दों में अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा है कि वह यह जानते हुए कि सह–अभियुक्त शनिचर मांझी के द्वारा उसे दिया गया मोबाइल चोरी का है, उसने यह जानते हुए उक्त मोबाइल को सह–अभियुक्त शनिचर मांझी से खरीदी थी। वह इस कृत्य के लिए क्षमा मांगती है।

चूंकि अभियुक्ता ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिए अभियुक्ता राधा देवी उर्फ रौशनी देवी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया जाता है।

सजा के बिंदु पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि अभियुक्ता एक विधवा महिला है। मजदूरी का काम करती है। अतः उसके प्रति नरमी बरतने की प्रार्थना की गई, क्योंकि अभियुक्ता ने स्वेच्छा से अपराध स्वीकार कर लिया है। विद्वार अपर लोक अभियोजक ने भी इस बात को स्वीकार किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर दोषी राधा देवी उर्फ रौशनी देवी जो दिनांक 17.05.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है और ऐसा कोई भी तथ्य उसके विरूद्ध किसी अन्य अपराध के लिए पूर्व दोषसिद्धि का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है और न ही अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य है जिसके अनुसार उसके विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक मामला लंबित हो। अतः दोषी राधा देवी उर्फ रौशनी देवी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) के लिए 09 (नौ) माह का

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना
सत्र वाद संख्या–2363 / 2025
अगमकुआं थाना कांड संख्या–395 / 2025
राधा देवी उर्फ रौशनी देवी बनाम बिहार राज्य

लगातार

10.03.2026 साधारण कारावास की सजा दी जाती है। दोषी द्वारा कारा में बिताया गया समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 449 के तहत समायोजित किया जाएगा। पीठलिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आरोपी राधा देवी उर्फ रौशनी देवी के लिए अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना को दोषसिद्धि अधिपत्र जारी करें। उपरोक्त अभियुक्ता को अभिरक्षा अधिपत्र एवं दोषसिद्धि अधिपत्र के साथ वापस जेल भेज दिया गया।

लेखापित

(संगम सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
पटना।

निर्णय / आदेश की तिथि	10.03.2026
निर्णय / आदेश आरक्षित करने की तिथि	लागू नहीं
अपलोडिंग तिथि	11.03.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक